



1. डॉ० गायत्री सिंह
2. शालिनी सिंह

गाजीपुर जनपद में जल संसाधन की उपलब्धता एवं कृषि विकास

1. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, 2. शोध अध्येत्री, - भूगोल विभाग, स्वामी सहजानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर (उ०प्र०) भारत

Received-04.03.2023, Revised-10.03.2023, Accepted-14.03.2023 E-mail: sweety08899@gmail.com

सारांश: प्रकृति के विभिन्न संसाधनों में जल बहुपयोगी अति महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक संसाधन है। जल मानव सहित सभी प्राणियों के जीवन का अनिवार्य अंग है। इसके अभाव में जीवन सम्भव नहीं है। पृथ्वी पर जल है तो जीवन है, हम सभी जानते हैं, लेकिन हम आलस्य तथा अज्ञानता के कारण जल को आवश्यकता से अधिक खर्च करते हैं या कह सकते हैं कि हम जल का अपव्यय करते हैं जबकि हमें जल संरक्षण के उपाय करने चाहिए। जल पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवों के अस्तित्व के लिए परम आवश्यक तत्व है। अन्य सभी प्रकार के जीवों की तुलना में मानव के लिए जल का अधिक महत्व है। एक संसाधन के रूप में जल किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक होता है।

कुंजीशब्द— बहुपयोगी, संसाधन, आलस्य, अज्ञानता, अपव्यय, जल संरक्षण, अस्तित्व, पेयजल, भूमिगत, अवलोकनात्मक।

उद्देश्य—

1. जल संसाधन की उपलब्धता को सुगम बनाना।
2. नदी जल संसाधन की समीक्षा करना।
3. धरातलीय एवं भूमिगत जल की व्याख्या एवं उसकी उपयोगिता का आकलन करना।
4. जनपद में विकासखण्डवार सिंचाई सुविधाओं को प्रस्तुत करना।
5. अध्ययन क्षेत्र में विकासखण्डवार पेयजल सुविधा की पर्याप्त उपलब्धता का आकलन करना।
6. गाजीपुर जिले में जल संसाधन का दुरुपयोग एवं उससे उत्पन्न समस्याओं की व्याख्या करना।
7. जल संसाधन संरक्षण के लिए नीति तैयार करके लोगों को जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा जागरूक किया जा सके।
8. कृषि विकास के लिए नयी तकनीकों का विकास हो।

विधितंत्र— प्रस्तुत शोध पत्र में अनुभवात्मक, अवलोकनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधितंत्रों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के धरातलीय एवं भूमिगत जल संसाधनों के विकास, उपयोग तथा अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक एवं कृषि विकास की समस्याओं के सम्बन्ध में आँकड़ों और तथ्यों का संग्रह कर प्रबंध की योजना प्रस्तुत की गयी है।

अध्ययन क्षेत्र— गाजीपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। जो कि वाराणसी मण्डल का पूर्वी हिस्सा है। जिसका 1818 में एक अलग जिले के रूप में गठन किया गया था। यह 25°19' और 25°54' उत्तरी अक्षांश तथा 83°4' और 83°58' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह स्थान समुद्रतल से 67.50 मीटर ऊपर है। पूर्व से पश्चिम तक जिले की लम्बाई 90 किमी० है और उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 64 किलोमीटर है। एक ओर गंगा नदी और दूसरी तरफ कर्मनासा नदी बिहार राज्य से इस जिले को अलग करती है। यह दक्षिण में चंदौली, उत्तर में मऊ, पूर्व में बलिया और बिहार राज्य, पश्चिम में जौनपुर, वाराणसी और आजमगढ़ से घिरा है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3377 वर्ग किमी० है।



उत्तर प्रदेश में जनपद गाजीपुर का स्थान मानचित्र



जल संसाधन- जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसको एक बार उपयोग के बाद पुनः शोधन कर उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। जल ही ऐसा संसाधन है जिसकी नियमित आपूर्ति आवश्यक है जो मानव को नदियों, झीलों, तालाबों, भू-जल, महासागर तथा अन्य पारस्परिक जल संग्रह क्षेत्रों से प्राप्त होता है। विश्व का 70.87% भाग जलीय है जबकि 29.13% भाग ही भू-भाग है। कुल जल का केवल 2.1% भाग ही उपयोग योग्य है जबकि 37.29% भाग लवणीय है। जल संसाधन की उपलब्धता जितना सुगम होगा, कृषि संसाधन का विकास उतना ही ज्यादा सम्भव होगा। किसी क्षेत्र में जल संसाधन की उपलब्धता उस क्षेत्र में जल प्राप्ति के स्रोतों पर निर्भर करता है। अध्ययन क्षेत्र में जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत वर्षा तथा हिमाच्छादित पर्वतों से निकली नदियाँ हैं। जनपद में वर्षा से प्राप्त जल, तालाब, पोखरों, नालों के माध्यम से बहते हुए नदियों एवं तालों में चला जाता है। वाष्पीकरण एवं निम्न गमन प्रक्रिया से गुजरता हुआ यह जल सतही एवं भूमिगत दोनों रूपों में विद्यमान है सम्पूर्ण मध्य गंगा घाटी में मिट्टी एवं वर्षा की उपयुक्तता के कारण भूमिगत जल का यह भण्डार अध्ययन क्षेत्र में कृषि कार्यों हेतु एक महत्वपूर्ण कारक है।

जल की उपलब्धता- 1. धरातलीय जल, 2. भूमिगत जल

1. धरातलीय जल- जल मानव निवास का आधार है, नदी झील, तालाब, पोखरा, दलदल, नहर, आदि सतही/ धरातलीय जल के उदाहरण हैं। मनुष्य जल का प्रयोग अपनी घरेलू आवश्यकताओं के अतिरिक्त उद्योग, नौकायन, सिंचाई, मल विसर्जन, जल शक्ति आदि के लिए करता है। यह जल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए नदियों, झीलों, तालाबों एवं जलाशयों में होता है।

नदी जल संसाधन- शोध क्षेत्र की मुख्य नदियाँ गंगा, गोमती, गांगी, बेसो, मंगई, भैंसही, टोंस तथा कर्मनाशा नदी हैं। जनपद गाजीपुर में गंगा नदी की लम्बाई 90 किमी० है, गोमती नदी की लम्बाई 30 किमी०, गांगी नदी की लम्बाई 50 किमी०, बेसो नदी की लम्बाई 95 किमी०, मंगई नदी की लम्बाई 25 किमी०, भैंसही नदी की लम्बाई 30 किमी०, और टोंस नदी की लम्बाई गाजीपुर में 20 किमी० है।

तालाब एवं पोखरे- नदियों के साथ-साथ अध्ययन क्षेत्र में तालाब व पोखरों की मुख्य भूमिका है। गाजीपुर में नौगढ़ बाँध नहर भी है जिससे किसानों को फसलों की सिंचाई में सहायता मिलती है। गाजीपुर में ही शारदा सहायक नहर खण्ड 23 है जो ग्राम बरेहटा से लेकर कनेरी गाँव तक विस्तृत है। यह नहर गाजीपुर के गाँव के किसानों के लिए खेत की सिंचाई का मुख्य साधन है। यह नहर गाजीपुर में लगभग 16 किलोमीटर तक फैली है। इसके अतिरिक्त चौधरी चरण सिंह पम्प कैनल, जौहरगंज व देवकली पम्प कैनल भी हैं। देवकली पम्प कैनल 39.2 किलोमीटर की मुख्य नहर सहित कुल 112 छोटे-बड़े गाँवों (गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया) के लिए वरदान साबित हुई है।

2. भूमिगत जल- भूमिगत जल की मात्रा पर वर्षा की प्राप्ति एवं संरचना तथा धरातलीय स्वरूप का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र गाजीपुर में भूमिगत जल का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। कुल उपलब्ध वर्षा में 50% वाष्पीकृत हो जाता है शेष का 65% नदी नालों द्वारा प्रवाहित हो जाता है, शेष 35% से कम ही तालाब, पोखरे आदि भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है।


वर्षा- अध्ययन क्षेत्र गाजीपुर में वर्षा जून के मध्य या जून के अंतिम सप्ताह से प्रारम्भ होकर अक्टूबर तक होती है। गाजीपुर में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सामान्यतः 15 जून से 15 अक्टूबर (चार माह) के मध्य जनपद के कुल वार्षिक वर्षा का 75% से 80% तक वर्षा होती है। शेष महीनों में वर्षा उत्तर की तरफ से आने वाले चक्रवातों से कभी-कभी होती है। जनपद में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेमी० से 110 सेमी० होती है परन्तु किसी किसी वर्ष कमजोर मानसून के कारण औसत से काफी कम वर्षा होती है।

सारणी-1

जनपद गाजीपुर : भूमिगत जल तल भूतल से (मीटर में) - 2020

क्र. सं.	विकासक	तल भूतल से	तल भूतल से
1.	बाराबर	6.91	2.63
2.	नौगढ़	4.97	2.33
3.	विरनी	5.40	3.59
4.	देवकली	8.50	5.43
5.	दौलतपुर	7.34	5.89
6.	जबगिया	5.26	4.61
7.	जबगिया	5.70	2.37
8.	बरका	8.57	5.57
9.	बर्धवाबाद	5.82	3.99
10.	बोहरी	5.46	2.87
11.	बरह	6.39	1.35
12.	बोहमाबाद	6.0	3.66
13.	देवतपुर	5.51	4.29
14.	बाराबर	5.02	2.65
15.	बैरपुर	10.31	7.86

स्रोत - भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश



जल का उपयोग- जल अमूल्य संसाधन है जिसका उपयोग विविध रूपों में किया जाता है। निरन्तर जनसंख्या में वृद्धि व कृषि जोतों का आकार कम होना एक बड़ी चुनौती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं प्रसार हेतु जल उपयोग निर्णायक सिद्ध होता है। धरातलीय जल का उपयोग मुख्यतः सिंचाई, गृह कार्यों, औद्योगिक एवं जल शक्ति उत्पादन, नौ-परिवहन, मत्स्य पालन तथा मनोरंजन हेतु किया जाता है तथा भूमिगत जल का उपयोग मुख्यतः सिंचाई एवं पेयजल हेतु किया जाता है।

सिंचाई के लिए जल का उपयोग- शोध क्षेत्र गाजीपुर में सिंचाई की सतही विधियाँ ही प्रचलित हैं। सतही जल (नहर तथा तालाब) से सिंचाई के अलावा विस्तृत भू-भाग पर विद्युत एवं डीजल चालित राजकीय एवं व्यक्तिगत नलकूप, सबमर्सिबल पम्पसेट से सिंचाई की जाती है।

नहरें- अध्ययन क्षेत्र गाजीपुर में नहरों की कुल लम्बाई 1490 किमी० है। नहरों द्वारा जनपद गाजीपुर में कुल 47267 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। दो विकासखण्ड मोहम्मदाबाद व भौवरकोल में नहर की सुविधा नहीं है। सबसे अधिक जमानिया विकासखण्ड में 14786 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई नहर द्वारा होती है, जबकि नहर की कुल लम्बाई 265 किमी० है। सबसे कम विकासखण्ड कासिमाबाद में 559 हेक्टेयर तथा सैदपुर में 741 हेक्टेयर पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है। जहाँ नहरों की कुल लम्बाई क्रमशः 99 किमी० तथा 100 किमी० है।

राजकीय नलकूप- अध्ययन क्षेत्र जनपद गाजीपुर में नलकूपों की संख्या 808 है। जनपद गाजीपुर में राजकीय नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 6458 है। सबसे अधिक राजकीय नलकूप भौवरकोल विकासखण्ड में है। इसमें 92 राजकीय नलकूप हैं जिससे 237 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। सबसे कम राजकीय नलकूपों की संख्या 20 मरदह विकासखण्ड में है तथा इससे 288 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है।

सारणी 2

जनपद गाजीपुर में विकासखण्डवार सिंचाई साधनों एवं स्रोतों की स्थिति

क्रम सं०	विकासखण्ड	नहरों की लम्बाई (किमी० में)	राजकीय नलकूप की संख्या	उपरोक्त नलकूप (संख्या)				नलकूप (संख्या)	नहरों (संख्या)
				विद्युत चालित	डीजल चालित	अन्य	योग		
1.	जमानिया	92	41	1433	3785	96	5314	10	6
2.	मन्दिहरी	125	33	1262	5288	127	6677	8	118
3.	सारात	53	24	2134	4098	115	6347	6	71
4.	सैदपुर	100	67	1571	3910	106	5587	11	19
5.	देवकोली	89	79	2082	4511	132	6725	11	59
6.	बिरनी	83	29	1620	2599	70	4289	9	45
7.	मरदह	117	20	1152	3884	88	5124	8	136
8.	गाजीपुर	57	76	938	1780	48	2766	9	31
9.	करंडा	60	79	801	2961	79	3841	7	24
10.	कासिमाबाद	99	25	1411	3283	91	4785	9	22
11.	बाराबर	112	49	1042	2911	73	4026	8	35
12.	मोहम्मदाबाद	0	75	778	3471	85	4334	12	27
13.	भौवरकोल	0	92	497	3173	68	3738	9	26
14.	जमानिया	265	24	732	2896	70	3698	12	18
15.	रिवतीपुर	76	58	1111	3042	83	4236	12	40
16.	नदीसा	162	37	341	4540	39	4920	13	12
	योग जनपद	1490	808	18905	56132	1370	76407	154	689

स्रोत - 1. अधि. अभि. सिंचाईखण्ड, गाजीपुर, 2. अर्थ एवं संख्या प्रभाग, गाजीपुर.



3. सहा. अमि. राजकीय लघु सिंचाई, गाजीपुर, 4. अधि. अमि. नलकूपखण्ड, गाजीपुर

निजी नलकूप- शोध अध्ययन क्षेत्र गाजीपुर में निजी नलकूपों से अधिकतम सिंचाई की जाती है। राजकीय नलकूपों से अधिकतम कुल 64.58 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, जबकि निजी नलकूपों से 175176 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। सबसे अधिक क्षेत्रफल में कासिमाबाद विकासखण्ड में निजी नलकूपों से सिंचाई की जाती है। इसमें कुल 17179 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, जबकि सबसे कम जमानिया विकासखण्ड में निजी नलकूपों से सिंचाई की जाती है। जमानिया में कुल 2548 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। गाजीपुर में अन्य स्रोत के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न साधनों में कुएँ भी हैं जिससे कुल 760 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है।

गृहकार्य में जल का उपयोग- गाजीपुर जिले में जल की मांग घरेलू उपयोग में कुल उपयोग होने वाले जल का 13% है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल के घरेलू उपयोग की मात्रा में कुछ अंतर पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 से 75 लीटर जल का उपयोग होता है, जबकि शहरी क्षेत्र में 90 से 100 लीटर जल का उपयोग होता है। घरेलू कार्यों में जल का उपयोग शरद ऋतु में कम तथा ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा किया जाता है।

सारणी-3

विकासखण्डवार सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्रम सं०	विकासखण्ड	नहरें	नलकूप		कुएँ	तालाब	अन्य	योग
			राजकीय	निजी				
1.	जखनिया	934	47	14676	48	0	1	15704
2.	मनिहारी	6245	268	11016	47	0	1	17577
3.	सादात	4451	246	12123	50	0	2	16875
4.	सैदपुर	741	359	14989	48	0	1	16138
5.	देवकली	4272	841	10618	47	0	1	15779
6.	विरनो	1076	278	12527	46	0	1	13928
7.	मरदह	1045	288	13087	45	0	1	14466
8.	गाजीपुर	870	275	10389	50	0	1	11585
9.	करंडा	826	865	8196	46	0	1	9934
10.	कासिमाबाद	559	141	17179	50	0	1	17930
11.	वाराचवर	965	208	13996	47	0	1	15217
12.	मोहम्मदाबाद	0	1576	9417	48	0	1	11042
13.	भांवरकोल	0	237	10404	49	0	1	10691
14.	जमानिया	14786	244	2548	45	0	1	17624
15.	रेवतीपुर	5080	403	8475	48	0	1	14007
16.	भदौरा	5238	119	4028	46	0	1	9432
	योग ग्रामीण	47088	6395	173666	760	0	17	227926
	योग नगरीय	179	63	1510	0	0	0	1752
	योग जनपद	47267	6458	175176	760	0	17	229678

स्रोत - 1. भूलेख अधिकारी, गाजीपुर, 2. अर्थ एवं संख्या प्रभाग, गाजीपुर

पीने हेतु जल का उपयोग- गाजीपुर के सभी विकासखण्डों में पीने हेतु जल के लिए पर्याप्त मात्रा में सरकारी नल/हैण्डपंप लगा हुआ है। सबसे अधिक हैण्डपंप इण्डिया मार्क-2 कासिमाबाद विकासखण्ड में है। यहाँ कुल 239768 जनसंख्या पीने हेतु जल का उपयोग करती है। निम्न सारणी से स्पष्ट है कि सभी विकासखण्डों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता है।



सारणी-4

जनपद गाजीपुर : विकासखण्डवार पेयजल सुविधा - (2020-21)

क्रम सं०	विकासखण्ड	नल / ईगबपम्ह	
		संख्या	जनसंख्या
1.	जसनिवा	212	221145
2.	मनिहारी	208	217375
3.	सादात	189	213540
4.	सैदपुर	252	235522
5.	देवकली	226	224017
6.	धिरनी	138	166015
7.	नरदह	126	186012
8.	गाजीपुर	183	220650
9.	करंडा	92	144212
10.	कासिनाबाद	256	239768
11.	बाराधर	197	204570
12.	मोहम्मदाबाद	233	221522
13.	भावरकोल	147	212032
14.	जसनिवा	131	262520
15.	देवतीपुर	74	181112
16.	मदीरा	73	2253342
	सोन	2737	5403354

स्रोत - सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद गाजीपुर - 2021

जल का औद्योगिक विकास में उपयोग- शोध क्षेत्र में अफीम फैक्ट्री, सुखवीर एग्रो एनर्जी, बड़े उद्योग के अलावा खड़सारी मील, शराब मील, कोल्ड स्टोरेज, राइस मील, जैसे छोटे-छोटे उद्योग पर्याप्त मात्रा में संचालित है जिसमें जल की खपत बृहद पैमाने पर होती है।

जल संसाधन का दुरुपयोग एवं उससे उत्पन्न समस्याएँ- मनुष्य आदि काल से ही अपने अपशिष्ट पदार्थों को जल स्रोतों में विसर्जित करता रहा है। वर्तमान समय में तीव्र औद्योगीकरण, जनसंख्या वृद्धि, जल स्रोतों का दुरुपयोग, वर्षा की मात्रा में निरंतर कमी आदि मानवकृत एवं प्राकृतिक कारणों से जल प्रदूषण की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे निर्माण, सफाई और अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के दौरान छोड़ा गया अपशिष्ट जल, नगरों के अपशिष्ट जल एवं विभिन्न प्रकार के कूड़ा-कचरा से जल प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित जल के उपयोग से मृदा उत्पादकता में कमी तथा पशुओं एवं अन्य जीवों में अनेक बिमारियाँ फैलती है।

अध्ययन क्षेत्र जनपद गाजीपुर में कोई बृहद औद्योगिक कारखाना नहीं है। इसीलिए बृहद अवशिष्ट जल किसी बृहद औद्योगिक कारखाने से नहीं निकलता है। शहरी क्षेत्र से अवमल, कूड़ा-कचरा निकलता है जिससे जल प्रदूषण हो रहा है। शोध क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल प्रदूषण की समस्या है, रासायनिक खाद व कीटनाशक के उपयोग से भू-जल प्रदूषण हो रहा है। जल संसाधन के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है, किन्तु इसके वितरण एवं वर्ष के प्रत्येक महीने में उसकी उपलब्धता में विभिन्नता मिलती है। साथ ही साथ गाजीपुर के प्रत्येक स्थानों पर शुद्ध जल की उपलब्धता का अभाव है। कभी जल की अधिक मात्रा से क्षेत्र जल प्लावित होता है तथा कभी जलाभाव से सूखा भी पड़ता है।

जल संसाधन संरक्षण- जल संसाधन संरक्षण से तात्पर्य जल के सभी स्रोतों का समुचित विकास कर अधिक से अधिक समय तक इसे उपयोग योग्य बनाना है। शोध क्षेत्र गाजीपुर में सतही एवं भूमिगत जल का अपार भण्डार है। जल संसाधन के उचित प्रबंधन से ही शत-प्रतिशत सिंचाई के लक्ष्य को पाया जा सकता है। जनपद में स्थित नहरों में हमेशा पानी पहुंचाने की समुचित व्यवस्था करनी होगी। खराब होकर बंद पड़े राजकीय नलकूपों को चालू करके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति द्वारा व्यक्तिगत नलकूपों का और अधिक विस्तार करना होगा, जिससे कि शत-प्रतिशत सिंचाई के लक्ष्य को पाया जा सके।

अध्ययन क्षेत्र गाजीपुर जनपद में वर्षा ऋतु में कहीं कहीं जल जमाव हो जाता है और वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने पर भी काफी दिनों तक सूख नहीं पाता है, जिसके कारण रबी की फसल की बुआई प्रभावित होती है। इन जल जमाव वाले क्षेत्रों में नालों का निर्माण करके जल जमाव की समस्या को दूर किया जा सकता है। सरकारी तालाबों का बहुत सा हिस्सा



मिट्टी पाटकर समतल हो गया है तथा कुछ तालाब पूरी तरह से समतल हो गए हैं। इन तालाबों को पुनः खुदाई करके पुनर्जीवित करना होगा जिससे कि वर्षा ऋतु में जल संचयन करके मत्स्य पालन एवं सिंचाई उत्पादन किया जा सके। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में जल संसाधन संरक्षण के लिए नीति तैयार करके लोगों को जागरूकता कार्यक्रम से जागरूक बनाकर जल संसाधन संरक्षण किया जा सकता है जिससे कि भविष्य में यह समस्या विकराल ना हो।

कृषि विकास- भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। यहाँ के लोगों के आर्थिक आय का मुख्य स्रोत कृषि है। समन्वित कृषि विकास, कृषि नियोजन द्वारा ही सम्भव हो सकता है। इसी सन्दर्भ में भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषि नियोजन एवं विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र जनपद गाजीपुर में विभिन्न योजनाएँ कार्यरत हैं जो निम्नवत है -

1. फसल विविधीकरण कार्यक्रम

- धान-गेहूँ फसल प्रणाली के स्थान पर वैकल्पिक फसलों के उत्पादन की उन्नत तकनीकों को प्रदर्शन के माध्यम से बढ़ावा देना।
- फलीदार फसलों की खेती के माध्यम से मृदा उर्वरता का पुनः स्थापन करना, भारी बायोमास उत्पन्न करना एवं पोषक तत्वों की कम खपत वाली फसलों का प्रयोग करना।

2. सब मिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल - (एस.एम.एस.पी.) बीज ग्राम योजना (केन्द्र सेक्टर)

3. भूमि संरक्षण अनुभाग द्वारा संचालित योजना

4. प्रधान मंत्री सम्मान निधि योजना (पी.एम. किसान)

5. मौसम सम्बन्धी फसल बीमा योजना

6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

7. किसान क्रेडिट कार्ड योजना

8. पी.एम.- कुसुम योजना अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में सोलर सिंचाई पम्प वितरण योजना इत्यादि योजनाएँ कार्यरत है।

उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन से अध्ययन क्षेत्र जनपद गाजीपुर की कृषि अर्थव्यवस्था एवं किसानों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

निष्कर्ष- गाजीपुर जनपद में जल संसाधन एवं इसके प्रमुख स्रोतों के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जनपद में वर्षा को प्रमुख स्रोत के रूप में माना जाता है। इसके द्वारा लगभग 1786.120 क्यूसेक जल प्रतिवर्ष प्राप्त होता है साथ ही वर्षा जल के द्वारा भूमिगत जल स्रोतों के लिए भी उपलब्धता सुनिश्चित होती है। जनपद में प्रमुख जल संसाधन के रूप में नदियों को माना जाता है। जिले की सर्वप्रमुख नदी गंगा है, जो जनपद के मध्यवर्ती भाग से प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त गोमती, गांगी, बेसो, मंगई, भैंसही, कर्मनाशा एवं टोंस नदियों द्वारा जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र को जल से परिपूरित किया जाता है। जल के अन्य स्रोत के रूप में नहरों को लिया गया है। नहरें सिंचाई का प्रमुख स्रोत होने के साथ-साथ पशुओं एवं जीव-जन्तुओं तथा वृक्षों के लिए भी जीवनदायिनी मानी जाती है। जनपद में शारदा सहायक नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। इस प्रकार जनपद में जल संसाधन के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जलापूर्ति एवं कृषि कार्य को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ० कौशिक, एस० डी० (2018), "संसाधन भूगोल," रस्तोगी पब्लिकेशन्स मेरठ, पृ० सं०-46.
2. पाठक, गणेश कुमार एवं चौबे, संजीव कुमार (2004), "जनपद बलिया (उ० प्र०) के जल संसाधनों की उपलब्धता, उपयोग, दुरुपयोग एवं संरक्षण" भागीरथ, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली, जनवरी-मार्च 2004.
3. सांख्यिकीय पत्रिका, गाजीपुर-2021.
4. डॉ० राव, बी० पी० एवं डॉ० श्रीवास्तव, बी० के (2013-14), "पर्यावरण और पारिस्थितिकी" वसुधरा प्रकाशन गोरखपुर संस्करण पुनर्मुद्रण, पृ० सं०-87.
5. सिंह, उर्मिलेश (2002), "बलिया जनपद के संसाधनों का भौगोलिक विश्लेषण एवं नियोजन," पृ० सं०-35.
6. राम, शिव कुमार (2019), "गाजीपुर जिला में जल संसाधन विकास तदुत्पन्नित पर्यावरणीय समस्याएँ एवं प्रबंधन : एक भौगोलिक अध्ययन" पृ० सं०-126.
7. ओझा, सुनील कुमार (2005), "जनपद मऊ (उ० प्र०) के संसाधनों का भौगोलिक विश्लेषण एवं नियोजन," पृ० सं० -76.
